



**बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014
संख्या—

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।
2. कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, अररिया।

पटना, दिनांक—

विषय — अररिया वन प्रमंडल अन्तर्गत NH-327E गलगलिया-ठाकुरगंज-बहादुरगंज के पथांश गलगलिया-खाईखट (0.00-39.00 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 15.06 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/25893/2017/2404 दिनांक 19.07.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 15.06 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है—

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 15.06 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 94,27,560/- (रुपये चौरानवें लाख सताईस हजार पाँच सौ साठ) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण एवं विभाग को उपलब्ध कराएगी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-4 के आलोक में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु रु० 82,22,778/- (रुपये बेरासी लाख बाईस हजार सात सौ अद्धत्तर) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।
3. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 1,76,50,338/- (रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार तीन सौ अड़तीस) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट forestclearance.nic.in से e-challan generate कर online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कराया जाय।

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय से e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 18 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।
अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

६०/—

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC-784

दिनांक— 25/08/2017

प्रतिलिपि— वन संरक्षक पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A. S. Pandey
(ए० के० पाण्डेय) 25/08/17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।